

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3973
जिसका उत्तर मंगलवार 20 मार्च, 2018 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों का संवर्धन

3973. श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ा देने हेतु कोई नीति बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों का एक निश्चित प्रतिशत में अनिवार्यतः विनिर्माण करने हेतु सरकार वाहन विनिर्माताओं को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों को आरंभ करने से पूर्व चार्जिंग प्वाइंट्स का विद्युतीकरण और संस्थापन पूर्ण करने का भी विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (चरण-1) से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण (फेम इंडिया स्कीम) तैयार की। फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार इस योजना के चरण-1 में प्राप्त अनुभव और उपलब्धि के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

तथापि, इस योजना के चरण-1 को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि स्टैकहोल्डरों से इनपुट और भविष्य में निधियों के पर्याप्त आवंटन के साथ चरण-1 के बाद कार्यान्वयन हेतु चरण-1 में प्राप्त अनुभव और उपलब्धि के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

तदनुसार, सरकार ने शून्य उत्सर्जन वाहनों और सहायक प्रौद्योगिकियों को आरंभ करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी को बढ़ाने हेतु एक कार्यनीति विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

(ख): जी नहीं।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।
